राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प.5(101)प्रा.शि/2025–09014 जयपुर, दिनांकः 18.06.2025

परिपत्र

प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता एवं उत्तरोतर वृद्धि के लिये समय–समय पर शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किये जाते रहे है। शैक्षिक गुणवत्ता के लिये विद्यालयों/कार्यालयों में कार्मिकों की निरन्तर उपस्थिति अनिवार्य है। विशेषकर विद्यालयों में शिक्षकों के स्वेच्छा से लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने से शैक्षिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें सुधार हेतु निदेशालय स्तर से भी कार्मिकों की निरन्तर उपस्थिति के सम्बन्ध में समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये जाते रहे है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा ज्ञापन कमांक प.1(2)वित्त/नियम/2006 पार्ट–1 दिनांक 25.10.2019, 06.01.2020, 28.01.2020 एवं दिनांक 22.02.2021 से प्रोबेशनर ट्रेनी द्वारा परिवीक्षाकाल अवधि में लिये गये असाधारण अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये हुये है।

प्रशासनिक विभाग स्तर पर स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों के अवलोकन से यह ध्यान में आया है कि जिन कार्मिकों की अवकाश अवधि 30 दिवस से अधिक है, उनका प्रथम 30 दिवस का असाधारण अवकाश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर, शेष अवधि के असाधारण अवकाश स्वीकृति हेतु शासन को भिजवाये जा रहे है। कतिपय प्रकरणों में शासन द्वारा शेष अवधि को Dies-non घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिससे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रथम 30 दिवस के असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने एवं तत्पश्चात शासन स्तर से Dies-non घोषित होने पर विरोधाभास की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है।

अतः उपर्युक्त के कम में निम्नानुसार विभागीय निर्देश जारी किये जाते है :–

1. नियमों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई कार्मिक स्वेच्छा से बिना पूर्व अनुमति/स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सूचना अविलम्ब सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियुक्ति अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी को दी जायें एवं नियुक्ति अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वेच्छा से बिना पूर्व अनुमति/स्वीकृति के अनुपस्थित कार्मिक के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 86 एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 एवं 17 में तुरन्त कार्यवाही सम्पादित की जायें एवं यदि नियुक्ति अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वेच्छा से अनुपस्थित कार्मिक के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो उनका उत्तदायित्व निर्धारित कर, उनके विरूद्ध भी राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित की जायें।
2. वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी ज्ञापन कमांक प.1(2)वित्त/नियम/2006 पार्ट–1 दिनांक 25.10.2019, 06.01.2020, 28.01.2020 एवं दिनांक 22.02.2021 की निरन्तरता में स्पष्ट

किया जाता है कि प्रोबेशनर ट्रेनी द्वारा परिवीक्षाकाल अवधि में लगातार 30 दिवस से अधिक के असाधारण अवकाश लिये जाने की स्थिति में प्रकरणों में पूर्ण अवधि (प्रोबेशनर ट्रेनी द्वारा परिवीक्षाकाल अवधि में लिये गये सम्पूर्ण असाधारण अवकाश अवधि) को शासन से स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावें।

3. यह भी जानकारी में आया है कि परिवीक्षाकाल अवधि में लिये गये अवकाश को यथासमय स्वीकृत नहीं कराया जाता अपितु कई वर्षों तक लम्बित रखा जाता है, अतः कार्मिक द्वारा लिये गये प्रत्येक असाधारण अवकाश को अवकाश उपभोग से लौटते ही सक्षम स्तर पर प्रस्तुत किया जावें।
4. परिवीक्षाकाल अवधि में निरन्तर लिये गये अवकाश को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने पर टुकड़े–टुकड़े अवधि में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। कार्मिक द्वारा निरन्तर अवधि में लिये गये असाधारण अवकाश को एक साथ ही स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जावें।
5. प्रायः देखा गया है कि मेडीकल बोर्ड से बचने हेतु कार्मिकों द्वारा टुकडों–टुकडों में (एक दिवस कार्यग्रहण कर) अवकाश लिया जाता है, जो अस्वीकार्य है। साथ ही लम्बी अवधि के चिकित्सकीय आधारित प्रकरणों में नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जावे। बिना सक्षम प्राधिकारी के स्तर से जारी प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जावे।
6. यह भी देखा गया है कि ग्रीष्मावकाश / शीतकालीन / मध्यावधि अवकाश से पूर्व एक दिवस के लिये मात्र अपनी परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण किये जाने हेतु कार्यग्रहण कर पुनः अवकाश समाप्ति पर असाधारण अवकाश पर चले जाते है जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है।
7. नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अपनी सक्षम प्राधिकारिता से अधिक अवकाश की पूर्वानुमति प्रदान नहीं की जावे।
8. वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी ज्ञापन कमांक प.1(2)वित्त / नियम / 2006 पार्ट–1 दिनांक 25.10.2019, 06.01.2020, 28.01.2020 एवं दिनांक 22.02.2021 में प्रदत्त निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रकरण अग्रेषित किये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावें।

(कृष्ण कुणाल)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. विशिष्ठ शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट सचिव, जयपुर।
5. सयुक्त शासन सचिव / शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1, 2, 5,प्राशि,प्राशि(आयो.) विभाग।
6. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय, जयपुर।

8. सचिव, राजस्थान राज्य स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर।
9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ राजस्थान, अजमेर।
10. निदेशक, सतत् शिक्षा एवं साक्षरता, जयपुर।
11. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, उदयपुर
12. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
14. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
15. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा), समस्त।
16. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
17. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
18. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

Document certified by KRISHNA KUNAL
<secy.schooleducation@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Krishna Kunal
Designation : Secretary To
Government
Date :18-06-2025 11:01:14

RajKaj Ref No.: 15900360